न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 30/2022

अपीलांट्स – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स:
1. ठाकराराम पुत्र भीखाराम
2. नारणाराम पुत्र भीखाराम
   जाति जाट निवासी खडाली
   पं.ह. छोटू भू. अभि. नि. क्षेत्र
   नोखडा तहसील गुडामालानी
   जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स:
1. अचलाराम पुत्र कानाराम
2. डालूराम पुत्र कानाराम
3. धनाराम पुत्र पोकरराम
4. जैसाराम पुत्र पोकरराम
5. करनाराम पुत्र पोकरराम
6. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20.05.2017 जो तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता मय अपीलांट्स उपस्थित।
2. श्री लोकेश चौधरी, अधिवक्ता मय रेस्पोडेंट्स उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.06.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा खडाली के खेत खसरा नम्बर 111 एवं 112 रकबा क्रमश[illegible] बीघा कुल रकबा 116–03 बीघा के सहखातेदारान नारणा, ठाकरा[illegible] 1/3 अचलाराम, डालूराम पि0 काना, पेमी पत्नी का[illegible]/3 धन्ना, ज[illegible]करना पि0 पोकरा 1/3 कौम जाट सा0 देह ने तहसील[illegible] दिनांक 20.0[illegible] को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संल[illegible] विभाजन नक्शा अनु[illegible]पसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी राणासर खुर्द द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सह खातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20.05.2017 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। सुनवाई के दौरान ही रेस्पोडेंट्स मय अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण माफिक राजीनामा स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की गई। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा उनकी स्वतंत्र सहमति के आधार पर तस्दीक किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलाधीन भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की है जिस पर उनके पूर्वज जेताराम के समय से आई हुई है। जेताराम के फौत होने पर उपर्युक्त दोनों अपीलाधीन खसरों की भूमि में अपीलांट्स का हिस्सा 1/3, रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/3 एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 3 से 5 का हिस्सा 1/3 खातेदारी में इन्द्राज हुआ है। खातेदारान द्वारा उपर्युक्त भूमि का बंटवाडा करने के लिए तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष कैम्प कोर्ट में दिनांक 20.05.2017 को पेश किया गया तब विभाजन नक्शों में कोई अलग से रंग भरे हुए नहीं थे और न ही रकबे अंकित थे। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 3 ने अपीलांट्स को विश्वास दिलाया कि पक्षकारान के बीच करीबन 30 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवाडा हो रखा है उस बाहमी बंटवाडा के अनुसार जहां पर ढाणियां व टांके आदि बने हुए हैं वहां पर भूमि का बंट किया जावेगा। इस पर अपीलांटस ने रेस्पोडेंटस पर विश्वास करते हुए बिना रंग भरे कोरे नक्शे पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशान कर दिये। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 3 ने पटवारी हलका व तहसीलदार से मिलावट कर अच्छी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अच्छी जमीन अपने बंट में रख ली और धोरे व उबड़–खाबड़ जमीन अपीलांट्स को बंट में करवा दी। अर्सा पूर्व दिनांक 05.06.2022 को जब रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 3 ने अपीलांट्स को कहा कि आप अपने कब्जे की भूमि छोड़ दें यह भूमि अब रेस्पोडेंट्स के बंट में आ गई है, तब अपीलांट्स ने जमाबंदी आदि की नकलें प्राप्त करने पर दिनांक 06.06.2022 को ही उक्त बंटवाडे की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। तहसीलदार गुडामालानी ने जल्दबाजी में दिनांक 20.05.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 5 ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित खसरों का मौके पर जाकर आपसी सहमति से मौका–कब्जा अनुसार बंटवाडा नहीं करने के कारण गलती से एक–दूसरे के कब्जे की भूमि, ढाणियां व टांके आदि गलत बंटवाडे में चले गये जिसका ज्ञान इतने दिनों तक नहीं हो सका। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 5 सभी अपीलाधीन बंटवाडा आदेश दिनांक 20.05.2017 रद्द करने हेतु सहमत हैं तथा सभी पक्षकारों के रूबरू तहसीलदार गुडामालानी मौके पर जाकर कब्जा–काश्त एवं ढाणियों व टांके अनुसार बंटवाडा करवाने के लिए सहमत हैं। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण पुनः तहसीलदार गुडामालानी को रिमाण्ड कर मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाडा नये सिरे से किये जाने का आदेश फरमावें।

6. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा खडाली के खेत खसरा नम्बर 111 एवं 112 रकबा क्रमशः 0–02 बीघा एवं 116–01 बीघा कुल रकबा 116–03 बीघा के सहखातेदारान ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार गुडामलानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी राणासर खुर्द द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्तावित है, मौके पर सह खातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20.05.2017 पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यों एवं भौतिक कब्जे की स्थिति बाबत कोई मौके की रिपोर्ट नहीं ली गई बल्कि यांत्रिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे मौका कब्जा एवं रेकर्ड की स्थिति में भिन्नता रह गई है। इस कारण मौके पर पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा राजीनामा पेश कर लिखित स्वीकारोक्ति प्रकट की गई है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है, ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपास्त करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन कराया जाना उचित है। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 10 दिनांक 20.05.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गुडामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

20/6/22

(उम्मेदसिंह रतनू)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested